कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) सतपुड़ा भवन, मध्य प्रदेश भोपाल

Tel&Fax0755-2674354 Email- pccfprod@mp.gov.in

क्रमांक/वनिस/ बजट/ 2017/3863 भोपाल, दिनांक 21-7-17

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक
   मध्य प्रदेश
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)/(उत्पादन),
   मध्य प्रदेश

विषयः– पीडीए अकाउंट खोलने के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन पत्र क्रमांक/उत्पादन/बजट/2017/252/549 दिनांक 15.02.2017

संदर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय से आपको आदेशित किया गया था कि सभी वनमण्डलाधिकारी जिनके द्वारा काष्ठ/बांस का नीलाम किया जाता है,(ट्रेजरी में रुपये 10 हजार से अधिक नकद एवं ड्राफ्ट जमा कराने पर रोक लगने की स्थिति में) पीडीए अकाउंट खुलवायें। रुपये 10 हजार से अधिक की राशि नगद एवं ड्राफ्ट चालान के माध्यम से जमा कराने के संबंध में वर्तमान में दिनांक 31.7.2017 तक छूट प्राप्त है। किन्तु, बीच–बीच में इस छूट संबंधी आदेश जारी होने में विलंब होने के फलस्वरूप कुछ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा उक्त अवधि में नीलाम संपन्न कराकर राशि पीडीए अकाउंट में जमा करायी गयी थी। इस प्रकार पीडीए अकाउंट में जमा राशि को शासकीय खाते में जमा कराने हेतु आयुक्त कोष एवं लेखा, संचालनालय कोष एवं लेखा, मध्य प्रदेश द्वारा जारी पत्र क्रमांक/डीटीए/सायबर/17/299 दिनांक 19.07.2017 से प्रक्रिया प्रेषित की है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अतः तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं की गयी कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं।

संलग्नः–छाया प्रति उपरोक्तानुसार–1

21-7-17

(डॉ. राकेश कुमार गुप्ता)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्य प्रदेश भोपाल

संचालनालय कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश,
पर्यावास भवन, पंचम तल, खण्ड(अ) भोपाल

कमांक/डी.टी.ए./Cyber/17/299 भोपाल, दिनांक 19/07/2017

प्रति,

प्रधान मुख्य संरक्षक,
वन विभाग,
सतपुड़ा भवन,भोपाल।

विषयः-व्यक्तिगत जमा खाते से शासकीय प्राप्ति शीर्षो में पुस्तक अंतरण द्वारा राशियों का हस्तांतरण।

संदर्भ : पी.सी.सी.एफ.(उत्पादन) से दिनांक 18.7.2017 को प्राप्त के क्रम में

----0----

विषयान्तर्गत यह घ्यान में लाया गया है कि वन विभाग द्वारा खोले गये व्यक्तिगत जमा खातों में प्राप्त राशियों को प्राप्ति शीर्षो में पुस्तक अंतरण करने से जमा करने में कठिनाई विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई है।

इस संबंध में अनुरोध है कि व्यक्तिगत जमा खाते से पुस्तक अंतरण की सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध है. जिसका उपयोग कर राशियॉ सफलतापूर्वक ऑनलाईन जमा की जा सकती है। इस हेतु निम्नांकित नेवीगेशन का उपयोग करने के लिये संबंधितों को निर्देश देने का अनुरोध है।

1- Start- bill- Process- Creation-insert- by Transfer पर Click कर Save बटन पर क्लिक करें।

2- इसके उपरांत पुनः Start- bill- Process- Chaking for by transfer/chek पर प्राप्ति संख्या डालने पर Process बटन पर क्लिक कर by transfer पर क्लिक कर संबंधित लेखा शीर्ष डाले जिसमें राशि स्थानांतरण करना है एवं Confirm कर approve करें।

3- : Start- bill- Process-submission- approve बटन पर क्लिक करने पर कोषालय प्राप्ति संख्या प्राप्त हो जायेगी।

PCCF (Prod)

P. C. C. F.
M.P. Bhopal
20/7/17

No. 5442
Dt. 20/7/17

आयुक्त 19/7
कोष एवं लेखा